

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/विद्युत/2022-23/1324

2

ई—निविदा सूचना संख्या 12/विद्युत/2022–23

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सक्षम/पात्र सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में एक वर्ष की वार्षिक दर संविदा पर ई—बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आंमत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की शर्ते इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बयाना (EMD) राशि जमा करवानें के पश्चात् निविदा को ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा शुल्क	बयाना राशि	साम्री आपूर्ति
1.	नगर निगम बीकानेर के विभिन्न अनुभागों हेतु एयर कण्डीशनर क्रय एवं स्थापन का कार्य।	(लाखा म) 05.10	500/-	1000/-	(EMD) 2%	अवधि 03 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय	:	05.08.2022 को 09:30 बजे से
ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	11.08.2022 को 18:00 बजे से
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	<u> 12.08.2022</u> को 15:00 बजे पश्चात

क्रमांक/विद्युत/2022-23/13/35-30 प्रतिलिपि :--

- माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
- 2. उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
- 3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
- 4. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय / खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड पर।
- 5. ओसवाल डाटा प्रोसेसर, बीकानेर को ऑनलाईन वेबसाईट ई-प्रोक्योरमेन्ट एवं एसपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशन हेत्।

नगर निगम, बीकानेर

On

नगर निगम, बीकानेर

दिनांक :- 4/8/2~

Gito :- 4 8/22

बीकानेर नगर निगम IN THIT IN THE THE

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :— 2226906, फोन :— 0151—2226902, 0151—2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/विद्युत/2022-23/13124

ई-निविदा सूचना संख्या 12/विद्युत/2022-23

नगर निगम बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्य (अनुमानित लागत राशि 5.10 लाख रूपये) हेतु सक्षम/पात्र सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से एक वर्ष की वार्षिक दर संविदा पर निर्धारित प्रपन्न में ई—बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आंमत्रित की जाती है। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

1. UBN Code :-

क्रमांक / विद्युत / 2022–23 / 1 3 1 **5** – 3 ० प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में RTPP के नियम 43(6) के अनुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई—मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

> आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

oz

नगर निगम, बीकानेर

दिनांक :- 4/8/22

दिनांक :- 418/25

(समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)

-: ई-टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :-

- 🕨 निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- > निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत बयाना (EMD) राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित शुल्क एवं EMD राशि से कम भुगतान करने वाली बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- > प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :--

4

नाम	MD RISL, Jaipur
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500/-
50 लाख से अधिक	1000/-

> निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :--

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500/-
10 लाख से अधिक	1000/-

- > इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई–निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- > निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ अपलोड करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- > ई-निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ हस्ताक्षर मय सील सहित संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
- > टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- > यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- > किसी भी बोलीदाता की बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- > राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- > किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें / विवरण मान्य होंगी।
- RTPP and GF&AR S.R. 16 में वर्णित समस्त शर्ते वर्तमान परिपेक्ष्य में लागू होगी।

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर



1

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :— 2226906, फोन :— 0151—2226902, 0151—2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

--: तकनीकी निविदा प्रपत्र :--

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जाँच निम्न बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में अपलोड करने होंगे :–

क्र.स.			
	दस्तावेज का विवरण		
1.	निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत बयाना <u>(EMD)</u> राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट <u>www.bikanermc.org</u> पर <u>Pay Online</u> <u>Tender</u> ऑप्शन द्वारा <u>Online Tender, RISL, EMD Fee Pay</u> पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।		
2.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 रजिस्ट्रेशन अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।		
3.	जा.एस.टा. रजिस्ट्रेशन की प्रति।		
4.	पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।		
5.	नगर निगम बीकानेर में ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।		
6.	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी-बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र।		
7.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का 50 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।		
8.	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राजस्थान सरकार के सूचना संख्या /क्रमांक संख्या TR- 4063/2018 एवं कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षणालय के पत्र क्रमांक व.नि.नि. / लाईसेंस / 2021 / 7454 दिनांक 29.06.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गए समस्त श्रेणी के विद्युत ठेकेदारों के लाईसेन्स, विद्युत पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण–पत्र, विद्युत पर्यवेक्षकों (खान) एवं विद्युत वायरमेन परमिट को भी ऑनलाईन पोर्टल cid.rajasthan.gov.in पर माईग्रेट (डिजीटल) करवाना आवश्यक है। डिजीटल की प्रतिलिपि के अभाव में पुराना लाईसेन्स मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजीटल लाईसेन्स कि प्रतिलिपि निविदा के साथ www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।		
9.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में निर्धारित श्रेणी में निम्नानुसार पंजीयन की सत्यापित प्रति :–		
-	1. E-EWSD-I st Any Amount (कोई भी राशि) 2. E-EWSD-II nd Up to 25.00 Lacs 3. E-EWSD-III rd Up to 10.00 Lacs 4. E-EWSD-IV th Up to 05.00 Lacs		

नोट :— निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों के स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रभारी (वि.)

प्रभारी (वि.) नगर निगम, बीकानेर

लेखाकार नगर निगम, बीकानेर

नगर निगम, बीकानेर

- केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होंगे एवं उनसे प्रतिभूति की घोषणा ली जावेगी।
- 2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम 2.5 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों के मामले में जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत होगी। यह निम्न में से किसी एक रूप में जमा करवानी होगी :-
 - 1. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
 - 2. राष्ट्रीय बचत पत्र।
 - 3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
 - 4. किसी अनुसूचित बैंक की निपत जमा रसीद (एफडीआर)।
 - 5. E-Grass कार्य सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्ते :-
 - (a) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 - (b) निम्नलिखित मामतों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfiet) कर ली जावेगी :-
 - 1. जब संविदा के किन्हीं निबंधन/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
 - 2. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है।
 - 3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।
- 3. बोली प्रतिभूति :- उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी, जो कि ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जोवगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4. बयाना राशि से छूट उन फर्मो को है जो SSI यूनिट/MSME के अधीन पंजीकृत है, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके के लिए उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के 0.5 प्रतिशत दर पर बयाना राशि जमा करवानी होगी।
- 5. बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद या यथा शीघ्र लौटाई जाएगी।
- 6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर दी जावेगी :--
 - 1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याह्नत या उपान्तरित करता है।
 - 2. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
 - जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 - जब बोली लगाने वाला प्रदाय/ संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करवाता है।
- 7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
- निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 9. निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिये मान्य होगी।
- 10. निविदादाता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी शाखा के भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगी या उसे भाड़े पर नहीं देगी।
- 11. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कार्य कौशल की निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
- 12. यदि उपापन संस्था किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपन्न में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
- 13. बोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के संबंध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोली दाता/फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

- 14. बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर या उल्लेख नहीं होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य बाध्य होगा अर्थात् बोली दस्तावेज में शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि का उल्लेख नहीं हो या विवाद की रिथति उत्पन्न होती है तो उस पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्धारण किया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
- 15. वार्षिक दर संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
- 16. तकनिकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक पृथक प्रथक प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य / बाध्य होगा।
- 17 बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली को दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों, प्रावधान, शारित आदि अच्छे से पढ़ कर भली भांति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनिकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 18. ई बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थपन और उपांतरण ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व किया जावेगा। ऑफलाईन या कार्यालय में प्रस्तुत पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। वित्तीय बोली खोलने से पूर्व उपान्तरण करता है तो EMD राशि जब्द कर ली जावेगी।
- 19. बोली प्रक्रिया पर बोली दाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 20. बोली दस्तावेज में किसी शर्त, प्रावधान, शास्ति आदि का विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
- 21. वित्त विभाग राज सरकार जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा होगा एवं लागू होगा।
- 22. उपापन संस्था किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने, बिना कोई ठोस कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक निविदादाताओं के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म या प्रदायकर्ता से अधिक को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।
- 23. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
 - 1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नो.।

4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

- 24. यदि संविदा के निर्वाचन, आशय या संविदा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों के द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्त (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 25. बोलीदाता से अपेक्षित किया जाता है कि अपनी बोली प्रस्तुत / भरने से पहले बोली सम्बन्धित समस्त अधिनियम एवं नियम तथा समस्त बोली प्रावधानों व शर्तों का भली–भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही अपनी निविदा प्रस्तुत की जावे।
- 26. अनुबंध सम्पादन के दौरान संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्रों में संलग्न Annexure A, B, C, D, and SR-11 Form पर स्वंय प्रमाणित कर जमा करवाना होगा।

प्रभारी (वि.) नगर निगम, बीकानेर

लेखाकार नगर निगम, बीकानेर

नगर निगम, बीकानेर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

- सभी निविदादाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 और PWF&AR के नियम/प्रावधान लागू होगें।
- वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Performance Security) Unbalanced Bid Amount का 50 प्रतिशत अनुबंध सम्पादन से पूर्व निगम कोष में ई–ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी।
- 3. निविदाएं उन फर्मों/डीलर्स द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन लेखों/उपकरण/मशीनरी के लिए पंजीकृत/ अनुमोदित आपूर्तिकर्ता है, जो वास्तव में उन सामानों में हैं जिनके लिए निविदा दी जा रही है।
- निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर निविदा कभी भी निरस्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार आयुक्त महोदय का होगा।
- निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा।
- 6. यदि सफलतम निविदादाता / ठेकेदार कार्य आदेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची / वितीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk&Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 7. निविदादाता को बिना सूचना दिये निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/महापौर का होगा।
- 8. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर श्रीमान् आयुक्त/महापौर द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- 9. निविदा खोलने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उपन्तरण करता है या करार निर्धारित अवधि में नहीं करता है, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है तो लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 10. सामग्री आपूर्ति करने की निर्धारित समयावधि 03 माह तक होगी।
- 11. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नही है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
- 12. धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यप्रित कर दी जावेगी। यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर / प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा। प्रतिभूति राशि वास्तविक / कार्यादेश राशि के 2.50 प्रतिशत होगी।
- 13. परफोरमेंस गारंटी आदि हेतु राज्य वित्त विभाग के वर्तमान नियम प्रभावी होंगे।
- 14. दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नही होगा।
- 15. समय—समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश / आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
- 16. आयुक्त नगर निगम यथोचित कारण सहित इस चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तिकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
- 17. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बीकानेर होगा।
- 18. निबन्धनों तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असन्तुष्ट ढंग से पूर्ण करने पर नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी/प्रतिभूर्ति/अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में महापौर/आयुक्त नगर निगम, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।
- 19. कार्य करते समय संवेदक को IER (Indian Electricity Rule) की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 20. संवेदक को नवीन विद्युत उपकरणों हेतु निर्माता द्वारा जारी गारण्टी / वारण्टी कार्ड एवं अन्य उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार की तकनीकी खामी को दुरूस्त बिना किसी अतिरिक्त व्यय के करना होगा।
- 21. बिल का भुगतान नियमानुसार औपचारिकताएं व प्रमाणीकरण के पश्चात् किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रांट/बजट में विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान विलम्ब होने पर ठेकेदार द्वारा प्रशासन पर दबाव नही बनाया जाएगा।
- 22. सफलतम निविदादाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिश्यल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
- 23. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर महापौर/आयुक्त, द्वारा 03 नोटिस देने पर ठेका/निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) एवं जमा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- 24. संशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। प्रस्तुत दरें निविदा तिथि से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी।
- 25. सफलतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जाती है, तो आदेश अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य संपादित करना होगा।

- 26. निविदादाता द्वारा न्यून्तम दर आने पर यदि निगम कार्य आदेश देती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- 27. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 28. ठेकेदार को लेबर लॉ की पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना/जान माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 29. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिमाणों / दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
- 30. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 31. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापनन संख्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- 32. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 33. संवेदक को RUIDP ISOR, 2022 के Annexure A की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 34. निगम द्वारा सामग्री आपूर्ति की संख्या में कमी/बढ़ोतरी भी की जा सकती है तथा सफल निविदादाता को उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार ही सामान आपूर्ति करनी होगी।
- 35. संवेदक को कार्यादेश के पश्चात् OEM का वैध गारन्टी सर्टिफिकेट न्यूनत्तम 01 वर्ष अथवा निर्माता द्वारा प्रदत्त अधिकतम गारंटी का प्रस्तुत करना होगा।
- 36. संवेदक को OEM/Authorized Dealer से Product Genuineness Certificate (Purchase Proof) प्रस्तुत करना होगा।
- 37. संवेदक को Item का Make व Model स्वीकृत करवाने के पश्चात् ही स्थापित करना होगा।
- 38. संवेदक को NABL मान्यता प्राप्त / CPRI/ERDA मान्यता प्राप्त लैब से सम्बन्धित टेस्ट सर्टिफिकेट / रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 39. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा सम्बंधित शर्तों को भली—भाँति पढ़ लेवें एवं शर्तों से सहमत होने के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें।
- 40. निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

उपरोक्त समस्त शर्ते मेरे द्वारा भली–भाँति पूर्ण रूप से पढ़ ली∕समझ ली गई हैं एवं मुझे समस्त शर्ते मान्य है।

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

s

नगर निगम, बीकानेर

लेखाकार नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर

BIKANER MUNICIPAL CORPORATION

Name of Work : - नगर निगम बीकानेर के मुख्य परिसर में स्थित भूमि शाखा दो नग एवं एसबीएम शाखा में एक नग एयर कण्डीशनर क्रय एवं स्थापन का कार्य।

" G-Schedule "

			E	-NIT No.	12/2022-2	3/01
No.	Item No.	Description	Qty	Units	Rate	Amount
1	E221900	Supply . Installation, Testing and Comissioning of ISO certified company made Air Cooled Hi Wall split type Air conditioners with latest star rating system as per BEE amended upto date complete with Indoor unit(IDU). Out door unit (ODU), surface / concealed copper Refrigerant piping with insulation (closed cell elastomerne ntrile rubber tubular pipe section) upto 3 Mtr (IDU to ODU), copper power cable upto 3.5 Mtr (IDU to ODU), R-32/R-410/ R-407 Green Refrigerant, wireless Remote control, suitable for working between 180-260V with low & high voltage cutoff and 50 hz ,1 phase AC supply capable of performing cooling, dehumidification, air circulation of following capacity with Scroll / rotary compressor Min 5 year OEM warranty both compressor and PCB. NABL accredeated as per IS/ISO/IEC 17025 standards / CPRI/ERDA lab testing reports as per IS/IS91(Part-2) 2018 with OEM certificate must submitted to engineer in charge. All as per pre approved by Engineer in charge. All as per pre approved by Engineer in charge. All as per pre approved by Engineer in charge. All as per approved by Engineer in charge. All as per "A' attached with this BSR.				20
11	E221912	1.0 TR with 3 star rating of BEE (ISEER not less then 3.5)	2.00	C.1	2(151.00	72202.00
1.2	E221913	1.50 TR with 3 star rating of BEE (ISEER not less then 3.5.)	2.00	Each	36151.00	72302.00
1.3	E221914	1.8/2.0 TR with 3 star rating of BEE (ISEER not less then 3.5.)	6.00	Each	43711.00	262266.00
2 E222300 Supply. Installation. Testing and Convicting of Line 2014		2.00	Each Kg	50874.00	101748.00	
3	E222400	Supply & fixing of external thermal closed cell elastomeric nitrile rubber Insulation material FM/UL approved with high water vapor diffusion resistance and low thermal conductivity should be certified 'Class O' in Fire Propagation as per BS 476 Part 6 in form of tubular insulation between each set of indoor & outdoor units as per specificationsnitrile including cost of adhesive complete as per specification and as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR.				
3.1	E222414	6mm thick insulation and 16 mm internal Dia				
4	E222700	Supply & Fixing of FR PVC insulated & sheathed 3 core flexible copper conductor as per PWD specification for electrical Works confirming to 15:694 and as per IS 8130 : 2013 of 1.1 kV grade. Wire should be made from 99.99% purity copper, class 5 stranding in acc. to IEC 60228 for lower watt loss . oxygen free (<10 ppm) for less chances of oxidization and higher silver content for gives better conductivity , insulation PVC type A .flame retardant as per IS 10810-53, better amperage rating as per VDE 0298 part 4 including making connection etc. as required. OEM Must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for wires. All as per pre approved by Engineer in charge, making connections. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .	15.00	mtr	31.00	465.00
4.1	E222702	2.5 Sq.min	100.0			
5	E222800	Supply. Fixing and testing of following capacity ISO certified company made wall mounted stabilizer having output voltage variation from 200 V to 250 V(+/-5%) with input voltage variation from 170 V to 260 V, time delay facility from 2 to 4 minute and high cutoff at 270 V with providing of 16 Amp plug top making connection etc complete in all respect. NABL accredented / CPRI/ ERDA lab testing reports with OEM certificate must submitted to engineer incharge. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR.		mtr	78.00	7800.00
5.1	E222801	3 kVA	2.00	Each	2690.00	5380.00
5.2	E222802	4 kVA	6.00	Each	3233.00	19398.00
5.3	E222803	5 kVA	2.00	Each	3845.00	7690.00
6	E223200 E060802	 Supply & fixing MS powder coated stand suitable for 1.0/1.5/ 2.0 Tr outdoor type of Split AC. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work, reference and the standard s	r D 10.00	Each	1055.00	10550.00
		specification for electrical Works conforming to EC 614,59-5 of not less then 1.2 mm thick fo housing MCB/Isolator with Din rail including, all as per pre approved by Engineer in charge,making connections, with lugs, repairs etc. as required.OEM shall have submit NABL / CPR1 / ERD/ accrediated lab test reports before execution & All as per pre approved by Engineer in charge. Fo additional technical parameters of products/ work, refer Annexure "A" attached with this BSR. Wit plastic enclosure Two way	g A			



9	EUIOIIIA	Providing & Laying P V C / XLPE insulated & P. V C, sheathed Unarmoured / Armoured aluminium cable of 1.1 KV grade as per PWD specification for electrical Works in existing RCC / Hume / Stoneware / PVC pipe/ open duct/cable trench with filling of excavated earth in trench, on existing cable trays or on surface etc. including making necessary connection, testing etc. as required of size and as per points (a). (b). (c), mentioned below:- (a) Material :- H4- Grade aluminium conductor of purity .99.6 % & as per IS:1554 P-1 / IS:7098 P - 1 (b) conductor shall have electrolytic aluminium confirming to IS 8130, IS 3975-1999 for armouring of cables in armoured cable items , IS 5831 for sheath, IS 10810 (Part 0 to 64.) for testing procedures. (c) OEM Must have ISO 9001 etrifications for quality assuarance & its own in house NABL lab setup for all testing facilities for cables . Appropriate type test certificate / OEM test report shall be submitted . All above as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR Un-armoured 4.0 Sq. mm 2 core.	100.00	Mtr	42.00	4200.00
8	E060123	Providing & Fixing of 240/415 V AC MCB with positive isolation of breaking capacity not less than 10 KA (B/ C tripping characteristic as per type of load and site requirement) 4KV impulse withstand voltage, as per PWD specification for electrical Works with ISI marked IS 8828(1996) / conforming to IEC 60898-1 2002, IEC 60947-2, low watt losses, trip free mechanisum , energy limiting of class 3 as per IEC, minimum phase termination capacity of 35sq.min. , conductor line load reversibility, label holding facility , IP 20 contact protection and fitted with existing distribution board/sheets, min. operation 20,000 upto 32 A rating and 10,000 upto 63 A, 5000 for 80 A rating including making connections, testing etc as required . OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accrediated lab test reports before execution & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products' work , refer Annesure "A" attached with this BSR . Double pole MCB.	10.00	Each	417.00	4170.00

Assistant/Executive Engineer Municipal Corporation Bikaner

I/we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions as per following Rates:-

PART-A as per G-Schedule @% (Above/Below/BSR)

Signature of Contractor with Seal

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Place: Signature of bidder Name : Designation: Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______ The designation and address of the Second Appellate Authority is ______ (1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1 [See rule 83]

	Nemorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procu	rule asj
	Act, 2012	
	Appeal Noof	
	Before the	
	1. Particulars of appellant:	
	(i) Name of the appellant:	
	(i) Name of the appenant:	
	(ii) Official address, if any:	
	(iii) Residential address:	
	2. Name and address of the respondent(s):	
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	3. Number and date of the order appealed against	
	and name and designation of the officer / authority	
	who passed the order (enclose copy), or a	
	statement of a decision, action or omission of	
	the Procuring Entity in contravention to the provisions	
	of the Act by which the appellant is aggrieved:	
4	If the Appellant proposes to be represented	
••	by a representative, the name and postal address	
	of the representative:	
	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:	
6.		appeal:
•		•••••
		••••
	(Supported	by an
	affidavit)	
	7.	Prayer:
	Place	
	Date	
	Appellant's Signature	

Docl

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Docl

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Docl

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम पूर्ण पता

टेलीफोन नं० (निवास) (कार्यालय)

Annexure-A

Additional Technical parameters of products/ work

- 1 PWD specifications for Electrical works -2012 (as amended upto date), relevent IS codes, National Building Code / National Lighting Code / National electric Code / Indian Electricty Rules (all as amended upto date) shall be treated as part of this Electric BSR-2021 for the purpose of detailed specifications & clarifications, if any. Henceforth this BSR-2021 shall be considered as part of all contracts/ agrements, controversy / dispute in interpretation of BSR -2021.
- 2 The mode of measurment of wiring and method of work execution shall be uniform & strictly as laid down in PWD specification for electrical works 2012 in general and for genuine work practice.
- 3 All Items including Makes & Models must be approved in writing before / at the time of layout by Engineer-in-Charge as per specifications with additional standard warranty proof of OEM beyond one year gaurantee for complete item or its part of product [For eg. Standard warranty period of complete electric geyser is 2 years while inner tank & element have five year & four year in market] Engineer incharge should ensure to give preferance to the product which have maximum warranty of OEM among available options in market, so department can avail benifit of standard warranty facility for betterment of work as and when required. This approval letter should be enclosed in every work agreement file .

Sr.No.	Item Name	Tests Must be done through NABL accrediated/CPRI/ERDA or other approved Labs or as specified with individual item :-
1	F/T accessories (Non Modular all switch/ socket/ regulator etc.)	01 out of 300 Nos. (Total all switch/ socket/ regulator etc.)
2	Modular accessories (all switch/ socket/ regulator etc.)	01 out of 300 Nos. (Total all switch/ socket/ regulator etc.)
3	FR PVC Flexible Copper Conductor (Total of any Size)	01 out of 5000 Mtr (Any size as per EE required)
4	PVC Conduit (Total of all sizes)	01out of 500 Mtr. (Total of all sizes)
5	Steel Conduit (Total of all sizes)	01 out of 500 Mtr. (Total of all sizes)
6	Sheet Steel Box/ M.S. Box/ GI Box/ PVC Box (Total of all sizes)	01 out of 200 Nos. (Total of all sizes)
7	MCB (1 Pole to 4 Pole) (Total of all amp rating)	01 out of 100 Nos. (Total of all amp rating)
8	DB (SPN to all TPN)	01 out of 20 Nos. (SPN to all TPN)
9	Panel accessories meters/ switches/relays)	OEM test certificate required.

4 Test of specified items below must be done in NABL accrediated/CPRI/ERDA or other approved Labs by contractor & no extra payment shall be made to the contractor for below mentioned tests & procedures at all :-

10	ACB & MCCB	01 out of 05 Nos ACB (OEM type test certificate also required for each quantity.) & 01 out of 25 Nos MCCB (OEM type test certificate also required for each quantity.)
11	SFU (All Types)	01out of 10 Nos (OEM type test certificate also required.)
12	LT/ HT Cable (Total All sizes)	01 Sample for 500 Mtr.
13	Earthing (Gel)	01 out of 10 Nos. (factory visit)
14	Ceiling Fan/ Exhaust /fresh air/ wall mounting fan. (Total All sizes)	01 out of 100 Nos. (Total All sizes)
15	Storage water heater (Geyser)	01 out of 20 Nos.(OEM test certificate required.)
16	LED Lighting fixture & accessories (Indoor & Out door (Total all	01 out of 200 (Indoor)
	types)	01 out of 50 (Outdoor)
17	LAN wiring	I.O.(LAN Point)- if Min. 80 Nos. (OEM 20 years performance warranty certificate With penta scanner report required With no extra cost.)
18	LAN Accessories	Switch – OEM / Auth. Dealer genuineness Certificate required.
19	Motor & Pumps , submersible etc.(Total all types)	01 out of 10 Nos. (OEM Certificate for every Piece)
20	Lattice tower	Factory Inspection compulsory
21	Air Conditioner	AC- 01 out of 25 Nos. (Factory visit)
22	Air cooling machine/ Chillers	Factory Inspection / III party certificate must
23	Transformer	01 out of 01 Nos. (Engineer visit compulsory at manufacturing site)
24	Fire Pump / Engine	III party inspection must.
25	Street light pole	If more then 25 , Factory Inspection / III party certificate must
26	High mast pole	Factory Inspection / III party certificate must
27	DG set	Factory Inspection / III party certificate must
28	RMU	Factory Inspection / III party certificate must
29	Bus Bar Trukning	Factory Inspection / III party certificate must

30	Solar water heater	Factory Inspection / III party certificate
		must

- 5 Any Items can be send for testing by Engineer-in-Charge in any NABL accredited/ CPRI/ERDA /Other approved Lab. Payment of testing charge shall be made by department for that. Contractor is liable to make all necessary arrangement to send the sample & get reports from lab, no extra payment shall be made to contractor for this arrangement.
- 6 Testing Lab for above must be selected after written consent of Engineer-in-Charge.
- 7 Contractor should submit minimum one year valid gaurentee certificate of OEM & Liable product genuineness certificate (purchase proof) from OEM/ Authorised Dealer for such products like :- modular & non modular, copper conductor, PVC and steel conduit, Sheet steel/MS/GI/PVC boxes, MCB, DBs, panel accessories (meters/switches/ relays), ACBS, MCCBS/ LT & HT cables, Gel Earthing, Ceiling fan, Exhaust fan, fresh air fan, wall mounting fan, Inner tank of storage water heater- geyser, LED lighting- Indoor & Outdoor, Air conditioners compressor & PCB, Transformer, Fire pump, Engine, Fire extingushers, fire detectors, High mast pole & Other major item etc. which uses at site as per tender. Contractor should furnish a commitment letter for after sales service support of product to department till minimum next five years.
- 8 Appropriate/ Routine type Test Certificates/ reports related to IS code with liable standard warranty proof / certificate of product from OEM shall be submitted by contractor during/ at the time of execution & should be verified by Engineer-in-Charge about the fulfillment of all required test certificates/ reports as per IS code.
- 9 All hidden items during execution like roof conduiting, cable laying, earthing etc must be in presence of engineer-in-charge or site engineer. GPS Photo be attach at the time of measurment of such items by officers for ensuring the genuine work practice.
- 10 Engineer-in-Charge must ensure the quality of product as per specifications to be used at site by means of testing / inspection / lab visit/ OEM Certificate. If engineer-in-charge finds the product used by contractor inferior in quality then they can immediately stop the work & bidder must change the item after getting approval from engineer-in- charge.
- 11 Engineer-in-Charge must ensure that all items used from any particular chapter of this BSR for any individual project, should be of same brand which is approved before execution as per availability. For example DB & accessories, pannel accessories, wiring accessories, fan and fixtures, LAN all passive copper & fiber components and other chapters etc.
- 12 Circulars & amendments issue time to time by Chief Engineer's office, PWD, Rajasthan, Jaipur with regards to Electric BSR-2021 & electric works shall form the part of RUIDP SOR-2022.
- 13 All ISI/ BIS/ ISO/ NABL/ ERDA/ CPRI/ ESTA or other certified products in this BSR are subject to condition of valid certification from these agencies, otherwise use of the specific product in this BSR will automatically be cancelled for corresponding project.